Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

Section 4: Base year

For the purpose of calculating the compensation amount payable in any financial year during the transition period, the financial year ending 31st March, 2016, shall be taken as the base year.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 4 : आधार वर्ष

संक्रमण अविध के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में संदेय प्रतिकर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाएगा।